समयबद्ध / फैक्स / ईमेल

संख्याः– 64 /1–10–2015–33(48)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, मीरजापुर एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक :: 01 जनवरी, 2016

विषयः– सूखे के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए चारे हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासन द्वारा सूखे से प्रभावित उक्त जनपदों के लिए खाद्यान्न एवं पशु चारे हेतु रू0 24.53 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। धनराशि की स्वीकृति विषयक आदेश में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का उल्लेख करते हुये व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि सूखे के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए चारे हेतु स्वीकृत धनराशि का निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायः–

(1) आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिये जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिन प्रभावित परिवारों को इस मद से सहायता प्रदान की गयी है, उनका नाम, पता एवं अन्य विवरण अभिलेखों में दर्ज किया जाय।

(2) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं को ही चारा दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(3) चारे के लिए कैम्प स्थापित किये जाने की व्यवस्था है। अतः अपरिहार्य (अतिआवश्यक) स्थलों पर पशु चारे के कैम्प लगाये जायें तथा किसी राजपत्रित अधिकारी को इस कैम्प का प्रभारी नामित किया जाये।

(4) शिविर में एक लाग–बुक रखी जाये जिसमें किसानों द्वारा लाये जाने वाले पशुओं की संख्या, श्रेणी तथा किसानों के नाम भी दर्ज किया जाय।

(5) राहत शिविर चलाये जाने के दिनों की संख्या अंकित की जाय।

(6) जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद में ही व्यय की जाय।

(7) जिलाधिकारीगण द्वारा खाद्यान्न एवं पशु चारे हेतु स्वीकृत धनराशि से चल रहे कार्यक्रमों का स्वयं निरीक्षण करने के साथ ही निरन्तर अनुश्रवण भी किया जाय।

(8) कैम्प स्थल पर निरीक्षण रजिस्टर भी रखा जाय जिसमें निरीक्षण करने वाले अधिकारी हस्ताक्षर, समय एवं कैम्प की गुणवत्ता पर अपनी टिप्पणी भी अंकित करें।

(9) कैम्प स्थलों की सूची व वहॉ उपलब्ध सुविधाओं, सम्पर्क फोन नम्बर आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

3– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

कम्बल वितरण हेतु गाइड लाइन 13